

कार्यालय उप वन संरक्षक, वन्यजीव जयपुर

क्रमांक : एफ () FCA / उवसवजी / 2022-23 / 6315
कोलडिपो परिसर, पानीपेच झोटवाडा रोड, जयपुर

निमित्त:-

अधिकाारी अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
बरसी, जयपुर

दिनांक :- 19/12/22

विषय:- वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के अन्तर्गत वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण Upgradation of Road from Bhanpura Kalan to Gol Via Nagal Tulsidas, Toda Meena, Tala, Jaichandpura, Gathwari, Bobari, Under PMGSY-III, District -Jaipur (Rajasthan) Proposal no FP/RJ/ROAD/149378/2021 के संबंध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक SPL No 01 (Camp Jaipur) दिनांक 14.12.2022 महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है की उक्त विषयांकित प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा जारी EDS दिनांक 28.10.2022 के क्रम में आप द्वारा संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर का अवलोकन किया गया। पार्ट-1 में अवलोकन उपरान्त प्रकरण में पुनः निम्न कमियां पाई गई। अतः पाई गई कमियों की पूर्ति कर प्रत्युत्तर शीघ्र प्रस्तुत करें। ताकि तदानुसार पार्ट-2 की पूर्ति की जा सके।

1. Point no D के (a), में "Widening of road" के स्थान "Upgradation of road" के संबंध में आप द्वारा प्रस्तुत उत्तर अनुसार "उक्त प्रचलित मार्ग पर 1980 से पूर्व डामरीकरण हो जाने के कारण Upgradation of road माना जावे तथा अब नये सिरे से सम्पूर्ण सडक का वन भूमि डायवर्जन लिया जा रहा है।" के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु इस कार्यालय द्वारा बार-बार आपको लिखा जा रहा है की यदि सडक 1980 से पूर्व में निर्मित थी तो इस बाबत कोई दस्तावेज/प्रमाण उपलब्ध करावें। किन्तु आप द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। पुनः लेख है कि सडक निर्माण 1980 से पूर्व निर्मित थी बाबत सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अथवा कोई विधिक साक्ष्य उपलब्ध करावें।

भवदीय

(सागर प्रवार, IFS)
उप वन संरक्षक
वन्यजीव जयपुर

क्रमांक : एफ () FCA / उवसवजी / 2022-23 /

प्रतिलिपि:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

दिनांक :-

उप वन संरक्षक
वन्यजीव जयपुर